न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमती प्रेम देवी बनाम प्रभात सिंह वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा [illegible] 43/2009
14.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय आदेश नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 20.07.2023 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी महोदय प्रोटोकॉल कार्य में व्यस्त है।
20.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकीलं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
43 / 2009	2018 / 0007	19.02.2018	20.07.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. प्रेम देवी पत्नि कैलाशचन्द्र उम्र 30 साल जाति बैरवा
2. कैलाशचन्द्र पुत्र देवनारायण उम्र 33 साल जाति बैरवा

निवासी ग्राम आलीवास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

— वादीगण

बनाम

1. प्रभातीलाल पुत्र भूराराम उम्र 55 साल
2. श्रीमती सन्तरा देवी पत्नि बंषीधर उम्र 40 साल

   जाति सैनी माली निवासी ढाणी टिंकूवाली तन् अरणियां
3. प्रहलाद राय पुत्र घासीराम जाति रैगर निवासी मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4. लैण्ड हौल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

श्री गिरीराज शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री रामावतार सैनी प्रथम, एड0 प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

[illegible]पत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2312, 2313, 2314 कुल किता 3 कुल रकबा 1.31 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर है। उक्त भूमि के वर्तमान रिकार्ड में वादिनी नं. 1 के नाम हिस्से की खातेदारी व वादी नं. 2 के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी अंकित है व प्रतिवादी नं. 1 के नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी व प्रतिवादी नं. 2 के नाम भी 1/4 हिस्से की खातेदारी एंव प्रतिवादी नं. 3 के नाम 1/12 हिस्से की खातेदारी अंकित है। वादी नं. 1 व वादी नं. 2 आपस में पति–पत्नि है। जिनका कुल भूमि में 1/6 व 1/4 कुल 5/12 हिस्सा है एंव मौके पर दोनों वादीगण अपने हिस्से की कुल 0.55 हैक्टर भूमि को क्रय किये जाने से पूर्व विक्रेताओं के चले आ रहे कब्जे के अनुसार विभाजित कर रखा है। जिस पर दोनों पक्षकारगण ने तारबंदी कर रखी है। एक अन्य भूमि में वादिनी ने अलग ट्यूबवैल करवा लिया व निकट भविष्य में विधुत कनेक्षन हेतु आवेदन कर दिया गया है। मौके पर वादीगण की हिस्से की पृथक भूमि खसरा नम्बर 2312 सम्पूर्ण व 2313 सम्पूर्ण वादीगण के कब्जे में व खसरा नम्बर 2313 के लगती हुई को काश्त करते है। जिसके वादीगण ने तारबंदी करके छड़ीयॉ लगा रखी है। प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 खसरा नम्बर 2314 की शेष भूमि की सिचाई करते है। प्रतिवादी सं. 1 ने खसरा नम्बर 2314 में स्वंय का ट्यूबवैल बना रखा है। वादीगण ने अपनी भूमि में एक छप्पर [illegible] की देखभाल हेतु बना रखा है। वादीगण अनुसूचित [illegible] 1 व 2 मौके पर अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज [illegible] को विभाजित करवाने की आवश्यकता महसूस होने पर प्रतिवादीगण के मौके प[illegible] ले आ रहे विभाजन अनुसार कानूनी बंटवारा करवाने हेतु कहा गया तो प्रतिवादीगण पिछले चार माह से लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह [illegible]
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

...सन देते रहे किन्तु अभी दो दिन से स्पष्ट इन्कार करने पर वाद कारण दर्ज होने पर वाद नियोजन आवश्यक हो गया है। उक्त भूमियों का अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 कहने सुनने से मान नहीं रहे है। कानूनी बंटवारा करवाना वादीगण का अधिकार है। इसलिए दावा दायर करना लाजिम आया। दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 की ओर से श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 ने उपस्थित होकर पूर्व में जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। इसके उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्त श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादीगण संख्या 4 की सम्मन तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने साक्ष्य वादीगण में वादी कैलाश चन्द्र पुत्र देवनारायण का एंव साक्ष्य वादी गवाहान् में गवाह छीतरमल, अर्जून सहाय सैनी, रमेशचन्द्र के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने से प्रकरण में कायम की गई तनकीयात पर तनकीवार फैसला नहीं कर सीधे ही राजीनामा अनुसार फैसल किया जा रहा है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में ... सहमति प्रदान कर दिये जाने से वकील वादीगण ... जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने ... डिक्री जारी किये जाने बाबत निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में पक्षकारान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ... (मुहर)

(हस्ताक्षर) ...
उपखण्ड अधिकारी, श्योपुर...

आपस में हुए राजीनामा अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में तनकी वाईज फैसला नहीं किया जाकर सीधे ही प्रकरण को बरूए राजीनामा बहस में लिया गया।

वकील वादी ने प्रकरण के तकासमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 14.09.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1517/रीडर/2022 दिनांक 21.09.2022 एंव पुनः पत्रांक 1744/रीडर/2022 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 472/भू.अ./2023 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने [illegible] किया।

हमने वादीगण अभिभाषक [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एव राजस्व रिकार्ड अतिम चौसला जमाबदी सम्वत 2074 से 2077 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुरेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 03 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 03 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुरैंजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार [illegible] के [illegible] 3.2023 मे वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनु[illegible]र से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :-

काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रु. मे)
1. कैलाश पुत्र देवनारायण जाति बैरवा सा. आलीवास तहसील चाकसू हिस्सा 655 / 2531	2312 / 2	0.2895	बारानी 2	1.07
	2313 / 2	0.1875	बारानी 2	0.70
2. प्रभातीलाल पुत्र भूराराम जाति माली सा. ढाणी टीकूवाली हिस्सा 566 / 2531 रहन बी.आर. के.बी.जी. बैंक शाखा मूण्डरू	2314 / 2	0.7885	बारानी 2	2.93
3. प्रेमदेवी पत्नि कैलाशचन्द जाति रैगर सा. आलीवास तहसील चाकसू हिस्सा 2183 / 12655				
4. प्रहलाद राय पुत्र घासी राम जाति रैगर निवासी मूण्डरू हिस्सा 1092 / 12655				
5. सन्तरा देवी पत्नि बंशीधर जाति माली नि. कुवाली अरनियां हिस्सा 655 / 2531 रहन बी.आर. के.बी.जी. बैंक शाखा अरनियां				
योग खाता	किता – [illegible]	[illegible]	--	4.70

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

...सवाईमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रु. में)
	प्रेमदेवी पत्नि कैलाशचन्द जाति रैगर सा. आलीवास तहसील चाकसू खातेदार	2312/2/1	0.2183	बारानी 2	
	योग खाता	किता – 1	0.2183		
2	कैलाश चन्द पुत्र देवनारायण जाति बैरवा सा. आलीवास तहसील चाकसू खातेदार	2312/2/2 2313/2 2314/2/2	0.0712 0.1875 0.0688	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	
	योग खाता	किता – 3	0.3275		
3	1. प्रभातीलाल पुत्र भूराराम जाति माली सा. ढ़ाणी टीकूवाली हिस्सा 2831/7197 खातेदार 2. सन्तरा देवी पत्नि बंशीधर जाति माली नि. कुवाली अरनियां हिस्सा 3275/7197 खातेदार 3. प्रहलाद पुत्र घासी राम जाति रैगर निवासी मूण्डरू हिस्सा 1091/7197	2314/2/1	0.7197	बारानी 2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर (सील))

[signature] 20/07/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 472/भू.अ./23 दिनांक .03.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:03 IST
Reason: SelfAttested